न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 136 / 2019

प्रार्थीगण :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सुन्दर पत्नि गफिया कौम मेगवाल सा0 असाडा
2. कमला पत्नि रावताराम कौम मेगवाल सा0 असाडा
3. रावताराम पुत्र आदुराम कौम मेगवाल सा0 असाडा
4. ग्राम पंचायत असाडा
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती करने बाबत

उपस्थितिः– 1. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा

'निर्णय'

दिनांक :– 18.06..2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि तहसील पचपदरा को डी आई एल आर एल पी योजनान्तर्गत अतिशीघ्र ऑनलाईन कर सभी सुविधाऐं ऑनलाईन उपलब्ध करवाने के प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे है। ऑनलाईन तहसील होने के पश्चात् काश्तकारों को सीधे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ई–मित्र कियोस्क पर समस्त रेकर्ड एवं नक्शें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगें।इससे काश्तकारों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी तथा उनका समय एवं धन भी बचेगा। तहसील पचपदरा के सरहद मौजा असाडा में मूल खेत खसरा संख्या 333 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। अन्त में निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण के मूल खसरे के अनुसार एकीकरण करने का निवेदन किया गया। यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 9.01.2020 को प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया, प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को सुने बिना दिनांक 9.01.2020 को पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर पुन बरामद करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 15.02.2021 को इस न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

द्वारा दिनांक 09.01.2020 को पारित आदेश को अपास्त कर आवेदन पत्र पुनः बरामद किया गया।

विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मौजा असाडा में मूल खेत खसरा संख्या 333 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरे विभजित किये हुए है, नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार की गई तरमीमों का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त खसरों से विभाजित किये गये खसरों का एकीकरण पूर्व की स्थिति के अनुसार करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि की जमाबंदी संवत् 2072–75 मय नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मौजा असाडा में मूल खेत खसरा संख्या 333 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से मौजा वेदरलाई में मूल खेत खसरा संख्या 333 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरे विभजित किये हुए है, नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार की गई तरमीमों का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रत्तीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर मौजा असाडा में मूल खेत खसरा संख्या 333 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण करने हेतु प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में परिशिष्ट 'अ' के मुताबिक अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट "अ" इस निर्णय के अभिन्न अंग होगा। इस निर्णय से यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में वाद/ आवेदन प्रस्तुत करके [illegible] सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned with CamScanner